

**Form 21C**

(See rule 64)

*(For use in General Election when seat is contested)*

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951**

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **Khandar(093)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

**Shri JITENDRA KUMAR GOTHWAL**

**Village-shivad, tehsil-chouth ka barvada, district-sawai madhopur**

Sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Sawai Madhopur

Dated- 03-Dec-2023

  
Signature

**बंशीधर योगी**

**रिटर्निंग अधिकारी**

**(पारधी समा) खण्डर 093**

Sub Divisional Officer &  
Sub Divisional Magistrate  
Khandar

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मे उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

खंडार(093) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 मे अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल ग्राम-शिवाड तहसील- चौथ का बरवाडा जिला - सवाई माधोपुर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान- सवाई माधोपुर

दिनांक- 03 दिसम्बर 2023

हस्ताक्षर

(ब्रिजेंद्र/धर योगी)

रिटर्निंग अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

खण्डार

(एस.डी.एम.) खण्डार 093